

कार्यालय संयुक्त संचालक सहअस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,
ग्राम कचान्दुर, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) -490024ई-मेल: ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक /रख-रखाव /CCMG MCH / 2024 / 1426

दुर्ग, दिनांक : 21/06/2024

कोटेशन सूचना (Quotation Notice)

चिकित्सालय हेतु आवश्यक कन्ज्युमेबल एवं सर्जिकल सामग्री

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) में आने वाले मरीजों हेतु आवश्यक कन्ज्युमेबल एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता है, जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित सामग्री का निर्धारित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करें :-

| S.N. | CONSUMUVABLE & SURGICAL ITEMS NAME | PACKING SIZE | MAKE | RATE | GST | TOTAL RATE (5+6) |
|------|---|--------------|------|------|-----|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | VICRYL 1 (2347) RB 90CM | | | | | |
| 2 | VICRYL 2-0 RB 30MM | | | | | |
| 3 | STERILE COTTON SWAB | | | | | |
| 4 | SURGICAL BLADE 23NO. | | | | | |
| 5 | URINE CONTAINER 30ML | | | | | |
| 6 | SOAP SOLUTION 5 LTR. | | | | | |
| 7 | ETHILON 3-0 3328 RC | | | | | |
| 8 | CULTURE TUBE | | | | | |
| 9 | HANDWASH 500ML | | | | | |
| 10 | BANDAGE 6 INCHES | | | | | |
| 11 | BANDAGE 4 INCHES | | | | | |
| 12 | VICRYL 3-0 RB (2437) | | | | | |
| 13 | VICRYL 3-0 RB (2401) | | | | | |
| 14 | PAP SMEAR KIT | | | | | |
| 15 | COPLIN JAR | | | | | |
| 16 | 100CM EXTENSION LINE WITH 3 WAY STOP COCK | | | | | |
| 17 | SYRINGE 5ML | | | | | |
| 18 | EAR BUD | | | | | |
| 19 | SURGEON CAP | | | | | |
| 20 | TROP -T | | | | | |
| 21 | TROP-I | | | | | |

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशनदर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
- सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
- उक्त सामाग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
- सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिकमूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

Joyal 21.6.24
संयुक्त संचालक सहअस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शा0चि0महा0
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.)